पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

सशक्त स्थायी समिति की तृतीय साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक :- 11.05.2023

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.	**रेशमी कुमारी**	***सीता साहू***
नगर आयुक्त	उप-महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 7443

Date / दिनांक: 20/06/2023

दिनांक-11.05.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की तृतीय साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. **श्रीमती सीता साहू** - **महापौर, पटना नगर निगम।**
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कान्ति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री आशीष कुमार सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री बिनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

निगम प्रशासन

01. श्री अनिमेष कुमार पराशर,भा.प्र.से - नगर आयुक्त, पटना आयुक्त
02. श्रीमती शीला ईरानी (भा.पु.से.) - अपर नगर आयुक्त
03. श्री राकेश कुमार झा - उप नगर आयुक्त
04. श्री अभिषेक आनन्द - उप नगर आयुक्त-सह- नगर सचिव
05. श्री सुरेश प्र. सिंह - निदेशक शहरी योजना
06. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
07. श्री सुजित कुमार - कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति प्रमंडल
08. श्री बबलू कुमार गुप्ता - कार्यपालक अभियंता(विधुत)
09. श्री अवधेश कु0 सिंह - निजी सहायक
10. श्री विलास मांझी - निजी सहायक

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, अपर नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत करती हूँ।

सीता साहू

Maurya Lok Complex, Budha Marg, Patna, Bihar-800001. T +91-612-2223791. F +91-612-2206691.E patnamc-mc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna, twitter.com/cityof patna, instagram.com/cityofpatna, youtube.com/cityofpatna, 947 222 3909

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही शुरू की जाती है।

मद सं0-01 :- **दिनांक-10.04.2023 को आहुत सशक्त स्थायी समिति की द्वितीय साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि के संबंध में।**

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया,कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 21 :- **सर्वसम्मति से दिनांक-10.04.2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की दूसरी साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद सं0-02 :- **पटना नगर निगम में कार्यरत स्थायी, दैनिक, संविदा, अनुबन्ध एवं आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में कार्यरत स्थायी, दैनिक, संविदा, अनुबन्ध एवं आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची अंचलवार उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सूची उपलब्ध है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है वह सही होगा।

नगर आयुक्त :- यह सूची कर्मचारियों के वेतन भुगतान के आधार पर बनायी गयी है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में स्थापना सूची के रूप में इसी प्रकार सूची तैयार कर लाया जाना चाहिए। अब यह व्यवस्था बननी चाहिए, अच्छा होगा।

नगर आयुक्त :- अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।

महापौर
पटना नगर निगम

मद सं0-03 :- **निगम क्षेत्र में चल रहे नाला उड़ाही कार्य की समीक्षा।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र में चल रहे नाला उड़ाही कार्य की समीक्षा का प्रस्ताव है। सभी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा नाला उड़ाही का प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा गया है जिसे संलग्न कर सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब से जानना चाहता हूँ कि नाला उड़ाही कार्य की समीक्षा बैठक हो रही है। इस बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं मुख्य सफाई निरीक्षक को भी रहने का निर्देश दिया गया था ताकि उनसे संबंधित अंचल के वार्डों के नाला उड़ाही कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस बैठक में उन्हें रहना चाहिए था। वे क्यों अनुपस्थित हैं?

नगर आयुक्त :- उनके द्वारा रिपोर्ट भेजी गयी है। सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं मुख्य सफाई निरीक्षक स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। अभी पटना में चकाचक अभियान चल रहा है। इस अभियान से पटना को स्वच्छता रैंकिग में लाभ होगा। नाला उड़ाही में यदि माननीय सदस्यों का कोई सुझाव आता है तो अपर नगर आयुक्त(सफाई) एवं मैं स्वयं उस पर अमल करने का प्रयास करूँगा।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्वच्छता रैंकिंग के लिए हम सदस्यों का भी प्रयास है। हम सभी पार्षद भी चाहते हैं कि पटना स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान प्राप्त करे। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहते थे। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी का उपस्थित नहीं होना ठीक नहीं है। आप 2002 से सशक्त स्थायी समिति की कार्यवाही को देखें कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहते थे। आगे से उनकी उपस्थिति बैठक में होनी चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी सशक्त स्थायी समिति का सदस्य था। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहते थे।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निर्देश के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं मुख्य सफाई निरीक्षक बैठक में उपस्थित नहीं है। यह आपत्तिजनक है। सशक्त स्थायी समिति के बैठक माह में दो बार एवं निगम पर्षद की बैठक माह में एक बार होती है। यह महत्वपूर्ण बैठक है। नगर आयुक्त द्वारा प्रत्येक दिन आहूत बैठक में शामिल होने के लिए पदाधिकारियों के पास समय होता है परन्तु इतना महत्वपूर्ण बैठक में उनका नहीं आना एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा उनका बचाव करना उचित नहीं है। यह गलत परम्परा को बढ़ावा देने के समान है।

अध्यक्ष :- नगर आयुक्त, आगे से सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें, ऐसा सुनिश्चित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नूतन राजधानी अंचल में वाहनों की जितनी संख्या है उससे ज्यादा चालक(कर्मी) की संख्या है।

नगर आयुक्त :- वाहनों पर एजेंसी के द्वारा चालक रखे गये हैं। ऐसा भी होता है कि एक वाहन को दूसरे पाली में चलाया जाता है। वहाँ दूसरी पाली में चालक बदल जाते हैं। यही कारण है कि कर्मी की संख्या वहाँ ज्यादा है।

अपर नगर आयुक्त(सफाई) :- नूतन राजधानी अंचल वी0आई0पी0 वाला क्षेत्र है। इस कारण वहाँ वाहनों पर अधिक कर्मचारी रखना पड़ता है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आउटसोर्स के कर्मचारियों को अब तक दिसम्बर 2022 का वेतन नहीं मिला है। उन्हें वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।

नगर आयुक्त :- पहले जिस कम्पनी के द्वारा मानव बल आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था, उनके द्वारा दिसम्बर 2022 का भुगतान कर्मियों को नहीं किया गया है। अनुबंध के अनुसार कम्पनी अपने संसाधन से पहले कर्मचारियों का भुगतान करती है बाद में निगम कम्पनी को राशि का आवंटन करती है। कर्मचारियों को बकाया वेतन दिया जाएगा।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, रात्रि पाली में काम करने वाले मजदूर बायोमिट्रिक मशीन पर उपस्थिति बनाने के बाद गायब हो जाते हैं लेकिन उनका भुगतान हो रहा है। इस तरह के कृत्य की जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक को होने बावजूद इसकी अनदेखी हो रही है।

नगर आयुक्त :- इस तरह के विषय को मैन्युअल तरीके से चेक कराएंगे ।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्थायी, दैनिक एवं संविदा पर कुल मिलाकर 9675 कर्मी कार्य कर रहे है और इसका भुगतान भी हो रहा है। अंचल को पिछले 06 माह में उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 मद में कितनी राशि भेजी गयी है और उनके द्वारा कितना भुगतान किया गया है, की सूची सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में लायी जाय।

नगर आयुक्त :- पूर्व में जितने लोगों का नाम हटाया गया था। वे 15 से 30 दिन अनुपस्थित रहें है। अधोहस्ताक्षरी का स्पष्ट निर्देश है कि बायोमेट्रिक के आधार पर ही वेतन भुगतान करना है। व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए एच0आर0एम0एस0 लागु किया जा सकता है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, 2018 से जो कर्मी गंगा घाटों पर कार्यरत थे। वे कहाँ हैं?

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जो पूर्व से घाट पर लेबर थे उनमें से महिला कर्मी को घाट पर सफाई के लिए छोड़ दिया गया है और पुरूष कर्मी को हटा दिया गया है वे अभी कहाँ काम कर रहे हैं?

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सेवानिवृत एवं कार्यकाल के दौरान मृत हो गये कर्मचारियों के जगह पर आउटर्सोस से कर्मचारी को रखा गया था। वही कर्मचारी घाट पर कार्य कर रहे है। उसके कारण वार्ड में कर्मचारियों की कमी हो गयी है। अत: मेरा सुझाव है कि वार्ड में कर्मचारियों की संख्या उसके पारामीटर के अनुसार की जाय।

सीता साहू

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

अपर नगर आयुक्त :- कच्ची घाटों पर कर्मचारी कार्य कर रहें है। पक्के घाटों से उन्हें हटाया गया है। लेबर तो पारामीटर के अनुसार ही रखना होगा। उसके लिए सभी वार्डों का आकलन करना होगा।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, पक्के घाटों की सफाई यथा-धोने के लिए भी कर्मी का होना आवश्यक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम गंगा घाटों की सफाई के मामले में पिछले वर्ष पिछड़ गये थे। इसलिए पक्के घाटों की भी सफाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जहाँ तक वार्डो में पारामीटर के आधार पर मजदूर रखने की बात है तो 2.5 प्रतिशत के दर से प्रति वर्ष बढ़ोतरी किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कागज पर कर्मचारी दिखायी दे रहें है, परन्तु कार्य स्थल पर नहीं दिखते है। रात्रि पाली की निगरानी की जवाबदेही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं रात्रि पाली के सफाई निरीक्षक पर है। बड़े पैमाने पर लेबर की चोरी रात्रि पाली में हो रही है।

नगर आयुक्त :- इसकी जांच कराई जाएगी। स्पष्ट निर्देश है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान करना है।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, रात्रि पाली में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे सभी सफाई पर्यवेक्षक हैं और वे झाड़ू देने एवं कूड़ा उठाने का कार्य नहीं करते हैं। यही कारण है कि रात्रि पाली का सफाई अभियान सफल नहीं हो रहा है। रात्रि पाली में भेड़ी से ज्यादा गरैरी है। रात्रि पाली के लिए पूर्व से निर्धारित मानव बल से हम बेहतर सफाई व्यवस्था इस शहर को उपलब्ध करा सकते है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में जो जल जमाव हुआ था उसमें पटना नगर निगम की कोई गलती नहीं थी लेकिन सारा बदनामी निगम का हुआ। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है। अंग्रेजों के समय के बने नाले को तोड़कर नमामि गंगे द्वारा हयूम पाईप बिछाया जा रहा है जिससे पुराने नाले का दीवार गिर रहा है जो आगे चलकर जल जमाव का कारण बनेगा। माननीया महापौर महोदया द्वारा इन्हीं चीजों के समाधान के लिए पिछले दिनों बुडको

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

एवं नगर निगम का समन्वय बैठक बुलाया गया था, जिसमें न तो बुडको के प्रबंध निदेशक और न ही नगर आयुक्त उपस्थित हुए।

श्रीमती कावेरी सिंह - माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड सं0-30 के अन्तर्गत विभिन्न जगहों पर सड़क एंव नाला को नमामि गंगे द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया गया है। इस कारण नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड संख्या-30 में जल-जमाव होने की प्रबल संभावना है।

नगर आयुक्त :- नाला उड़ाही का कार्य 15 जून तक होना है। वार्डों के सफाई निरीक्षकों से नाला उड़ाही का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी ने मुख्यालय को इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन भेजा है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नाला उड़ाही से संबंधित कार्य का रिर्पोट संबंधित पार्षदों से भी लिया जाय ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके वार्ड में शत-प्रतिशत नाला उड़ाही का कार्य हुआ है या नहीं। उसके बाद मुख्यालय से भी उसकी जाँच करा ली जाय। कई माननीय पार्षदों द्वारा माननीय महापौर महोदया को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गयी है कि अभी उनके वार्ड में कहीं 60 प्रतिशत तथा कहीं 50 प्रतिशत तक ही नाला का उड़ाही हुआ है। नगर आयुक्त महोदय, माननीया महापौर महोदया ने माननीय पार्षदों द्वारा उनके पास भेजे गये पत्रों को आपके पास भेजा है। उनकी छाया प्रति मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इन्हें अपने स्तर से जाँच करवा लें। ताकि हम शत-प्रतिशत नाला उड़ाही के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

नगर आयुक्त :- नाला उड़ाही के संबंध में संबंधित वार्ड के सफाई निरीक्षक द्वारा 90 प्रतिशत उड़ाही होने का रिर्पोट मुख्यालय को भेजा गया है। हमें कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाना चाहिए न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सफाई निरीक्षक गलत प्रतिवेदन दे रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के दबाव पर वे ऐसा कर रहें है। मेरा सुझाव है कि नाला उड़ाही कितना प्रतिशत हुआ इसकी जाँच होनी चाहिए।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त महोदय, पिछले दिनों माननीया महापौर महोदया ने सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के साथ वार्ड संख्या-31, 32 में चल रहे नाला उड़ाही का औचक निरीक्षण किया था और पायी थी कि वहाँ के स्थानीय सफाई निरीक्षक प्राईवेट मजदूरों के उपस्थिति के संबंध में गलत रिपोंट मुख्यालय को भेज रहें है तथा उनके नाम पर फर्जी बिल बना रहें है। माननीया महापौर के साथ कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं स्थानीय सफाई निरीक्षक भी थे। माननीया महापौर महोदया ने आपको इस संबंध में दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की थी परन्तु अब तक उस पर कोई कार्रवाई आपके द्वारा नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर पदाधिकारियों के उपस्थिति में कर्मी की गड़बड़ी पकड़ी गयी फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं किया जाना यह साबित करता है कि निगम प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को संरक्षित एवं पोषित कर रहा है। मेरा प्रस्ताव होगा कि वार्ड 31 एवं 32 के सफाई निरीक्षक को अविलम्ब निलंबित किया जाय। जिससे भ्रष्टाचार कर रहे लोगों पर लगाम लगाया जा सके।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, वार्ड संख्या-31 एवं 32 के सफाई निरीक्षक को निलंबित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-31 एवं 32 के सफाई निरीक्षक के द्वारा प्राइवेट मजदूर के संबंध में गलत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा गया था। औचक निरीक्षण में मुख्यालय को भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट मजदूर वहाँ कार्यरत नहीं थे। वार्ड संख्या-31 एवं वार्ड संख्या-32 के सफाई निरीक्षक को तत्काल निलंबित करने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दोनों वार्डो के सफाई निरीक्षक को निलंबित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-31 एवं 32 के सफाई निरीक्षक को निलंबित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, दोनों वार्डो के सफाई निरीक्षक को निलंबित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-31 एवं 32 के सफाई निरीक्षक के निलंबन का प्रस्ताव पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- जाँच कर दोषी कर्मचारियों पर नियमानुसार विभागिय कार्रवाई की जानी चाहिए। बिना स्पष्टीकरण पुछे एवं नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों को पालन किए बिना सभी मामलों में सीधे निलम्बन किया जाना उचित नहीं होगा।

प्रस्ताव संख्या- 22:- **माननीया महापौर एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी तथा मुख्य सफाई निरीक्षक की उपस्थिति में वार्ड संख्या-31 एवं वार्ड संख्या-32 में नाला उड़ाही का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दरम्यान पाया गया कि वार्ड संख्या-31 एवं वार्ड संख्या-32 के सफाई निरीक्षक के द्वारा नाला उड़ाही कार्य में लगे प्राइवेट मजदूरों की उपस्थिति में गलत जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करा निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया है इसके आलोक में,**

सर्वसम्मति से तत्काल वार्ड संख्या-31 के सफाई निरीक्षक श्री दीपक कुमार एवं वार्ड संख्या-32 के सफाई निरीक्षक श्री रंजीत कुमार को निलंबित करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या- 04 :- **चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग की मरम्मति हेतु प्रत्येक वार्ड में 50 हजार रू0 का आवंटन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग की मरम्मति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डो में जलापूर्ति एवं पेय जल उपलब्ध कराने हेतु चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग का अधिष्ठापन किया

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

गया है। अधिकांश वार्डों में चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग की स्थिति अच्छी नहीं है। जिसके कारण पेय जल की समस्या हो रही है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग की मरम्मति हेतु प्रत्येक वार्ड में 50 हजार रू0 आवंटन का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु संलेख सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है, चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग की मरम्मति हो जाने से पेय जल की समस्या दूर होगी। मेरा प्रस्ताव है कि गर्मी को देखते हुए सभी वार्डों में 05-05 नया समरसेबुल बोरिंग लगाने की भी स्वीकृति दी जाय। बजट में भी इसका उपबंध किया गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। सभी वार्डों में 05-05 नया समरसेबुल बोरिंग लगाने की स्वीकृति दिया जाय। साथ ही जहाँ टंकी लगाने का जगह नहीं है वहाँ उस राशि से पाइप लाइन का विस्तार कर घरों को पेय जल उपलब्ध कराया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय। छठे वित्त आयोग में जलापूर्ति के मद में पर्याप्त राशि है। इस योजना को उक्त राशि से करायी जाए।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नल जल योजना के तहत निगम क्षेत्र में जो जलापूर्ति पाइप (बुल्लु रंग)लगाया जा रहा है, उस पाइप की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गयी थी, जहाँ पर 10 एच0पी0 के मोटर से पानी की सप्लाई की जाती है। निगम क्षेत्र में 75 एच0पी0 से 110 एच0पी0 के मोटर से पानी का सप्लाई किया जाता है। जिसका प्रेशर एच0डी0पी0ई0 पाइप नहीं झेल पाता है। अतः मेरा सुझाव होगा कि इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजकर निगम क्षेत्र में एच0डी0पी0ई0 पाइप की जगह सी0आई0/डी0आई0 पाइप लगाने की मंजूरी देने की मांग की जाय।

अध्यक्ष महोदया, छठे वित्त आयोग से प्राप्त राशि से हर घर नल का जल पहुँचाने हेतु 05-05 नये समरसेबुल बोरिंग अधिष्ठापन की स्वीकृति दी जाए ताकि तंग गलियों एवं महल्लों में जहाँ जलापूर्ति पाइप नहीं है समरसेबुल के माध्यम से पेय जल पहुँचाया जाए।

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION ★

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव संख्या-23 :- (क) **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चापाकल एवं समरसेबुल बोरिंग की मरम्मति हेतु प्रत्येक वार्ड में 50,000/-(पचास हजार) रू0 का आवंटन करने एवं**

(ख) **प्रत्येक वार्ड में हर घर नल का जल पहुँचाने हेतु 05-05 नये समरसेबुल बोरिंग का अधिष्ठापन छठे वित्त आयोग की राशि से कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-05 :- **पटना नगर निगम के पार्षदों के कार्यालय के लिए उपस्कर हेतु 25 हजार रू0 आवंटन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- वार्ड कार्यालय के लिए उपस्कर क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वर्ष 2022-23 में हुए निर्वाचन में पुराने एवं नये माननीय पार्षद जीत कर आयें है। उनके वार्ड कार्यालय में उपयोग हेतु उपस्कर क्रय किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय पार्षदों के कार्यालय में उपयोग हेतु उपस्कर क्रय का प्रस्ताव है, जो निगमहित में है। मेरा सुझाव है कि माननीय महापौर एवं उप-महापौर के कार्यालय हेतु 50-50 हजार रू0 की स्वीकृति भी दिया जाय।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव अच्छा है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्यसा-24:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय पार्षदों के वार्ड कार्यालय हेतु उपस्कर क्रय के मद में 25 हजार रू0 तथा माननीया महापौर एवं उप-महापौर के कार्यालय हेतु 50 हजार रू0 उपस्कर क्रय हेतु आवंटन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-06 :- **अधिवक्ताओं के पुराने पैनल को निरस्त करते हुए नये पैनल का गठन करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अधिवक्ताओं के पैनल गठन का प्रस्ताव है। इस आशय का संलेख नहीं है।

नगर आयुक्त :- अधिवक्ताओं के नये पैनल का गठन किया जा सकता है लेकिन पुराने पैनल में भी अच्छे कार्य करने वाले अधिवक्ता है। नए पैनल के निर्माण के बाद ही पुराने पैनल को निरस्त करना उचित होगा। दैनिक रूप से अनेकों सी0डब्लू0जे0सी0 एवं अवमाननावाद (एम0जे0सी0) माननीय न्यायालय में रहते है। जिनमें नियमित रूप से निगम का पक्ष रखा जाना आवश्यक है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम के पुराने पैनल में जो अच्छे अधिवक्ता है, तथा निगम के वादों में रूचि ले रहें है एवं अच्छा परिणाम दे रहें है उन्हें रखा जाय पर जो अधिवक्ता सिर्फ नाम के लिए सूचीबद्ध है जिनकी कोई रूचि निगम के वादों / मुकदमों को लेकर नहीं है उनके स्थान पर नये एवं काबिल अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया जाय, जिससे निगम को फायदा हो।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, ऐसा देखा जा रहा है कि पैरवी के लिए जो अधिवक्ता सूचीबद्ध है, उनमें से कुछेक को छोड़कर बाकी लोग निगम के वादों को लेकर गंभीर नहीं है तथा पैरवी भी ठीक से नहीं कर रहे है। इसलिए ये जरूरी है कि निगम के पैनल में विद्वान अधिवक्ताओं को रखा जाय जो ससमय निगम के वादों का पैरवी न्यायालय में कर सके। इसलिए पुराने पैनल को निरस्त कर नये सिरे से निगम के वादों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, अधिवक्ताओं के पुराने पैनल को निरस्त कर नये सिरे से अच्छे अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

उप-महापौर :- माननीया महापौर महोदया, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-25 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के पुराने पैनल को निरस्त कर नये पैनल के गठन करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस संबंध में अगले सशक्त स्थायी समिति की बैठक में अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध करायी जाए।**

मद सं0-07 :- **स्पैरो कम्पनी के द्वारा अनुबन्ध अवधि में राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा।**

अध्यक्ष :- स्पैरो कम्पनी के वसूली कार्य की समीक्षा का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- स्पैरो कम्पनी द्वारा पिछले 04 वित्तीय वर्षों में निम्न प्रकार से लक्ष्य के विरूद्ध वसूली किया गया है जो निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	लक्ष्य(करोड़ में)	संग्रहण(करोड़ में)	कमीशन भुगतान
2017-18	-	17.53	1,43,80,992
2018-19	110.00	82.30	3,504,01,054
2019-20	110.00	60.71	1,51,16,377
2020-21	113.77	71.80	5,10,27,327
2021-22	118.78	98.00	6,74,97,743
2022-23	143.31	68.01	-

माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि स्पैरो कम्पनी के द्वारा निगम के करोड़ो रूपयों का गबन किया गया है। उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है। तत्काल Black List करते हुए निगम को हुए नुकसान के लिए नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस वित्तीय वर्ष में 30 प्रतिशत राजस्व वसूली हो चुकी है और यह वसूली ऑनलाईन हो रही है। कुछ महीनों में 90 प्रतिशत वसूली हो जाएगी।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- नगर आयुक्त महोदय, स्पैरो कम्पनी के द्वारा अनुबंध अवधि में जो राजस्व वसूली से संबंधित रिपोर्ट आपके द्वारा स्थायी समिति के समक्ष लाया गया है, उसके अनुसार बहुत खास अन्तर पूर्व और वर्त्तमान के राजस्व

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

वसूली में नहीं दिख रहा है। एक जो बड़ा अन्तर है वो ये कि विभागों के पास निगम का जो बड़ा राशि होल्डिंग टैक्स के रूप में बकाया था, उसे आपने प्रयास कर लाया है। लेकिन कई मौकों पर स्पैरो के द्वारा कथित धाँधली की बात आपके द्वारा तथा कुछ लोगों के द्वारा उठायी जाती रही है लेकिन रिपोर्ट में उन बातों का जिक्र नहीं है। मेरा मानना है कि यदि स्पैरो के द्वारा अनुबंध अवधि में कोई गड़बड़ी की गई है तो उसकी जाँच होनी चाहिए तथा दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि स्पैरो कम्पनी के अनुबंध अवधि के कार्यो की जाँच के लिए कमिटी बनायी जाय जिससे की सारी चीजें स्पष्ट हो।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। स्पैरो कम्पनी के अनुबंध अवधि के कार्यो की जाँच हेतु कमिटी बनायी जाय, जिसमें पार्षद एवं पदाधिकारी शामिल हो। कमिटी बनाने हेतु माननीया महापौर महोदया, को अधिकृत किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। जाँच कमिटी बनायी जाय एवं माननीय महापौर को इस हेतु अधिकृत किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, स्पैरो कंपनी के अनुबंध अवधि के कार्यो की जाँच हेतु कमिटी बनाया जाय। कमिटी बनाने हेतु माननीय महापौर महोदया को अधिकृत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-26 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्पैरो कम्पनी के अनुबंध अवधि के राजस्व वसूली कार्य की जाँच हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 33 के तहत तदर्थ समिति (जाँच कमिटी) का गठन करने तथा कमिटी के सदस्यों को नामित करने हेतु माननीया महापौर को अधिकृत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

महापौर
पटना नगर निगम

मद सं0- 08 :- **निगम में कार्यरत व्यक्ति विशेष कर-संग्रहक(दैनिक मजदूर) के वेतन बढ़ोत्तरी आदेश को निरस्त करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- व्यक्ति विशेष कर-संग्राहक(दैनिक मजदूर) के निर्गत आदेश को रद्द करने का प्रस्ताव है, इस आशय का संलेख अप्राप्त है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पिछले बैठक में भी यह प्रस्ताव आया था। निगम में व्यक्ति विशेष कर्मचारी एक बीमारी की तरह है। व्यक्ति विशेष संवर्ग का कोई पद बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 में या पूर्व में भी सरकार द्वारा नगरपालिका में सृजित पद नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, व्यक्ति विशेष (दैनिक मजदूर) को वित्तीय लाभ देने पर निगम के 4,000 दैनिक कर्मी भी वेतन की मांग करेंगे। वे धरना,प्रदर्शन एवं कोर्ट में भी जाएंगे। इन 16 कर्मियों के कारण कई करोड़ रूपये का वित्तीय भार निगम पर आएगा ।

नगर आयुक्त :- इसके पूर्व कमीशन कर संग्रहक को वित्तीय लाभ दिया गया है?

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, कमीशन कर संग्रहक निगम में सृजित पद है और निगम एक्ट के अनुसार है, जिसके विरूद्ध उन कमीशन कर संग्रहकों को रिक्त पद के विरूद्ध समायोजन किया गया है। ,

अध्यक्ष महोदया, व्यक्ति विशेष कर्मियों को 06 माह के लिए सरकार द्वारा निगम में भवनों की गिनती एवं विधुत विभाग के द्वारा निगम क्षेत्र में गाड़ गये पोलों के गिनती करने के लिए रखा गया था लेकिन उन्हें अंचल के द्वारा प्रशासनिक आदेश से मूल कार्य से हटाकर होल्डिंग वसूली कार्य में लगा दिया गया।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- नगर आयुक्त महोदय, इस विषय पर विधिक राय प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई फैसला लिया जाय।

प्रस्ताव सं0-27:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यक्ति विशेष कर संग्रहक (दैनिक मजदूर) के वेतन बढ़ोतरी के विषय पर विधिक राय प्राप्त कर अगली बैठक में पुन: रखा जाय।**

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-09:- **सभी वार्डो में अस्थायी प्याउ का निर्माण एवं पूर्व से बने प्याउ की मरम्मति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अस्थायी प्याउ निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए निगम क्षेत्र में स्थायी/अस्थायी प्याउ का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न वार्डो में 93 स्थलों पर प्याउ लगाने का प्रस्ताव है। सड़कों के चौड़ीकरण एवं निर्माण के क्रम में कुछ प्याउ को तोड़ दिया गया है जिसकी मरम्मति की भी आवश्यकता है। इसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी में गुरू पर्व के समय जो प्याउ बने थे, उसकी भी मरम्मति की आवश्यकता है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-28 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी वार्डों में अस्थायी प्याउ का निर्माण एवं पूर्व से बने प्याउ की मरम्मति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-10 :- **एच0एम0एस0 द्वारा वार्ड में आई0ई0सी0 एक्टिविटी के लिए नियुक्ति कर्मियों की कार्य की समीक्षा।**

नगर आयुक्त :- स्वच्छता मिशन एवं चकाचक अभियान को सफल संचालन के लिए एच0एम0एस0 के द्वारा आई0ई0सी0 एक्टिविटी के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। जो निगम क्षेत्र में कार्य कर रहें है।

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जिन शर्त्त एवं बंधेज के साथ इन्हें कार्य पर रखा गया है। क्या वे उन बिन्दुओं को full fill कर रहें है। मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार उन्हें स्नातक पास कर्मचारियों को रखना था। लेकिन मैट्रिक एवं इंटर पास व्यक्तियों को कम्पनी द्वारा रखा गया है इसकी जाँच की जाय तथा इसके साथ निगम का जो अनुबंध हुआ है उसका पालन कराया जाय। एच0एम0एस0 के कर्मी वार्डों में स्थानीय पार्षद से मिलते भी नहीं है। इनका काम डोर टू डोर जाकर लोगों को कचड़ा प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। पर वे अभी इस कार्य को नहीं कर रहे है।

नगर आयुक्त :- माननीय पार्षदों को पत्र लिखकर स्वच्छता अभियान चलाये जाने के सूचना दिया जाना है। जहाँ-जहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वहाँ स्वच्छता उत्सव भी बनाया जायेगा। उसके लिए नारा है- **'' मेरा शहर, मेरी आवाज है'' ।**

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए माननीय पार्षदों तथा जनप्रतिनिधियों का सहयोग एवं समर्थन जरूरी है। स्वच्छता के कार्यक्रम की जानकारी माननीय महापौर, उप-महापौर, स्थायी समिति तथा माननीय पार्षदों को नहीं दी जा रही है, जो खेदजनक है। माननीय पार्षदों को कार्यक्रम की जानकारी पत्र के माध्यम से दी जाय साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम में माननीय महापौर, उप-महापौर तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय। इससे अच्छा वातावरण तैयार होगा तथा इसका संदेश भी लोगों के बीच अच्छा जाएगा। सभी लोगों के सहयोग, समर्थन एवं सुझाव से ही स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। IEC एक्टिविटीज में लगे एच0एम0एस0 के कर्मियों को स्थानीय पार्षद से समन्वय करने का निर्देश दिया जाय।

नगर आयुक्त :- सभी माननीय पार्षदों को स्वच्छता कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। माननीया महापौर, उप-महापौर एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को भी स्वच्छता कार्यक्रम की पूरी सूची तथा उनसे हर कार्यक्रम में शामिल रहने का अनुरोध किया जाएगा।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नई आई0ई0सी0 एजेंसी के आने के पश्चात पटना नगर निगम Water एवं GFC Facility के Desktop Assessment में सफल घोषित हुआ है।

मद संख्या-11 :- **पटना नगर निगम क्षेत्र में नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नक्शा की स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में नक्शा 15 दिनों में पास करने का प्लान बनाया जा रहा है। विभाग से जी0आई0एस0 मैप प्राप्त हो गया है। निगम क्षेत्र में पिछले दिनों 200 नक्शा पास किया गया है। अभी इसे और बेहतर किया जायेगा।

मद संख्या-12 :- **पटना नगर निगम के स्वामित्व वाले ए0एन0कॉलेज के पास पानी टंकी की 1.5 एकड़ भूमि को पत्रांक-12454, दिनांक-31.08. 2022 द्वारा नगर विकास भवन बनाने हेतु दी गयी स्वीकृति की समीक्षा करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- तत्काल इसे स्थगित रखा जाय।

अ0मद0सं0-01:- **Mauryan kars Auto Services LLP द्वारा उपलब्ध कराये गये हेल्पर का जनवरी 2023 तथा फरवरी 2023 का भुगतान Physical Attendance Sheet के आधार पर करने के लिए विमर्श एवं निर्णय के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न वाहनों पर हेल्पर के रूप में कर्मी जनवरी 2023 एवं फरवरी 2023 में कार्यरत थे। लेकिन बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति नहीं बनने के कारण उनका भुगतान रोक दिया गया था। जिसके भुगतान हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया यदि कर्मचारी ने सफाई वाहनों पर हेल्पर के रूप में काम किया है तो इसका भुगतान होना चाहिए। पर Physical Attendance Sheet को Confirm कर ही भुगतान किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अगर कर्मियों ने कार्य किया है और नगर आयुक्त महोदय संतुष्ट है तो भुगतान किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, यदि वाहनों पर हेल्पर ने काम किया है तो उसका Attendance Verify कर भुगतान किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ऐसा देखा जा रहा है कि आउटसोंस एजेंसी के द्वारा 21 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हटाया जा रहा है तथा नये लोगों को रखा नहीं जा रहा है। जिसके कारण व्यवहारिक रूप से कार्य करने में परेशानी हो रही है। मेरा सुझाव है कि 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु के बीच लोगों को आउटसोर्स कम्पनी में रखा जाय। जिससे कार्य के निष्पादन में कर्मियों की कमी को दुर किया जा सके।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का कथन सही है। माननीय सदस्य के सुझाव के आलोक में इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-29 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Mauryan kars Auto Services LLP द्वारा उपलब्ध कराये गये हेल्पर का जनवरी 2023 तथा फरवरी 2023 का भुगतान Physical Attendance Sheet के आधार पर करने तथा 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को भी आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद0सं0-02 एवं 03:- **जिला पदाधिकारी, पटना -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-11.01.2023 एवं 27.02.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में**

महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

10-10 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत करने के संबंध में।

नगर आयुक्त :- दिनांक-11.01.2023 एवं 27.02.2023 को सम्पन्न अनुकम्पा समिति की बैठक में समीक्षोपरान्त 10-10 आवेदकों को अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु चयन किया गया है। जिसकी नियुक्ति पत्र निर्गत करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अनुकम्पा पर नियुक्ति का मामला है। इन कर्मचारियों के नियुक्ति होने पर कार्य में तेजी आएगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कांति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम के कर्मी लगातार सेवा निवृत हो रहें है। हमारे यहाँ दक्ष व कुशल कर्मियों की कमी हो रही है। अनुकम्पा से संबंधित सभी संचिकाओं का निष्पादन प्रमुखता के आधार पर होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-30:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-11.01.2023 एवं 27.02.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में 10-10 आवंटित पदों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत करने के**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रस्ताव कई बार आया है। इस पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यपालक अभियंता विद्युत का पटना नगर निगम के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों एवं महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के पास हाईमास्ट लाईट अधिष्ठापन की स्वीकृति का प्रस्ताव है। जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यपालक अभियंता विद्युत द्वारा 30 जगहों का चयन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर हाईमास्ट लाईट लगाने की आवश्यकता है। इसकी संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाय। माननीय सदस्यों से भी स्थल चिन्हित कर इस सूची में सम्मलित कर लिया जाय। इस प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पूरे पटना शहर के चौक-चौराहों, धार्मिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले बाजार आदि क्षेत्र में 50 हाईमास्ट लाईट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाय।

प्रस्ताव संख्या-31 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रों के महत्वपूर्ण चौराहों, धार्मिक स्थलों, बाजारों आदि क्षेत्रों में 50 हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीया उप-महापौर महोदया का निवास स्थान वार्ड संख्या-48 के स्लम बस्ती, नया गाँव, महेन्द्रु, पटना में अवस्थित है। इनके आवास तक पहुँच पथ एवं नाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस संबंध में माननीया उप-महापौर द्वारा माननीया महापौर महोदया को दिनांक-02.05.2023 को पत्र लिखकर इसका

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

निर्माण कराने का अनुरोध किया गया है। इनके द्वारा जो योजनाएँ अनुशंसित की गई है **वो निम्न है :-**

1. बॉकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत वार्ड संख्या-48 नया गाँव के दक्षिण सड़क से माननीया उप-महापौर के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 13,20,900/- है।

2. बॉकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत वार्ड संख्या-48 नया गाँव के पश्चिमी सड़क (नवनिर्मित सामुदायिक भवन-सामुदायिक शौचालय) से होते हुए माननीया उप-महापौर के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 6,39,100/- है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीया उप-महापौर महोदया के अनुशंसा के आलोक में इन योजनाओं की स्वीकृति देने हेतु प्रस्ताव पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- **इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।**

प्रस्ताव संख्या-32 :-(क) **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बॉकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत वार्ड संख्या-48 नया गाँव के दक्षिण सड़क से माननीया उप-महापौर के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 13,20,900/- है।**

एवं

(ख) **बॉकीपुर प्रमंडल अन्तर्गत वार्ड संख्या-48 नया गाँव के पश्चिमी सड़क (नवनिर्मित सामुदायिक भवन-सामुदायिक शौचालय) से होते हुए माननीया उप-महापौर के घर तक भू-गर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 6,39,100/- है**

की प्रशासनिक स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अ0म0संख्या-04 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मेन होल की मरम्मति /निर्माण एवं स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधित कार्यो को Revolving fund के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Revolving fund से कार्य कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी 75 वार्डो में सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। पटना नगर निगम विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत अधीनस्थ पथों का पी0सी0सी0 कार्य एवं नाला निर्माण कार्य करता है। नाला के संरेखन में प्रभावित जल ग्रहण क्षेत्र में Waste Water को समीपवर्ती किसी नाले /मेनहाल में जोड़ा जाता है एवं मानके के अनुरूप नियमित अन्तराल पर सफाई एवं अन्य कार्य हेतु मेनहाल का निर्माण कराया जाता है। पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लगभग 75,460 मेनहाल की संख्या है। हाल के दिनों में ध्वस्त मेनहोल एवं ढ़क्कन से कई दुर्घटनाएँ हुई है। पटना नगर निगम में 24 x 7 काम्पेंट सेल से मेनहाल से संबंधित लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिला प्रशासन के द्वारा भी कई बार इस संबंध में निदेश प्राप्त होते है। इन्हीं सभी निर्देशों के आलोक में मेनहोल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु एक निर्णय लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

नियमानुसार कोई भी सिविल कार्य पूर्ण कराने हेतु प्राक्कलन का सृजन, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निविदा की प्रक्रिया की जाती है। चयनित एजेंसी से एकरारनामा कर कार्य कराया जाता है। यह लम्बी प्रक्रिया है जिसमें आपातकालीन कार्यों के निष्पादन में काफी विलम्ब संभावित है। Revolving fund के माध्यम से कार्यो का त्वरित निष्पादन संभव है। इस माध्यम से प्रापत शिकायतों के तुरंत बाद कार्यवाही करायी जा सकती है।

मुख्यालय स्तर से मेनहाल मरम्मति संबंधित तीन माडल प्राक्कलन अनुमोदित है-

क्र0	मरम्मति का प्रकार	CP के बाद	CP के बिना
1	मेनहॉल का ढ़क्कन	रू0-3045/ अदद	रू0 2740/अदद
2	मेनहॉल स्लैब के साथ ढ़क्कन	रू0-10440/अदद	रू0 9571/अदद

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

3	नये मेनहॉल का निर्माण	रू0- 21064/अदद	रू0 18960/अदद

इसके अतिरिक्त स्वच्छता सर्वेक्षण अन्तर्गत शौचालय के मरम्मति भी Revolving fund से कराया जा सकता है।

अतः पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मेनहॉल की मरम्मति / निर्माण, स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी कार्यो के अन्तर्गत शौचालय की मरम्मति हेतु Revolving fund के माध्यम से कराये जाने हेतु विमर्श अपेक्षित है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आसन्न बरसात एवं स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए मेन होल की मरम्मति आवश्यक है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इसे अभी प्रयोग के तौर पर मात्र 06 माह के लिए मंजूरी दी जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कांति देवी : इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित एवं निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-33 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मेन होल की मरम्मति /निर्माण एवं स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधित कार्यो यथा- शौचालयों की मरम्मति आदि को मात्र**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

15 लाख रूपये प्रति अंचल/प्रमंडल में Revolving fund के माध्यम से सिर्फ 06 माह हेतु कराये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ०म०संख्या-05 :- **Providing Infrastructure with operation and maintenance for Re-use of Treated Water in Adjoing Area of Saidpur STP Under Jurisdiction of Urban Development Division, Bankipur प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- यह योजना सैदपुर STP से निकलने वाले गंदे जल को पुनः उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 8 फीट व्यास के पाईप लाइन के द्वारा गंदा जल आयेगा। इस योजना से दिनकर गोलम्बर, बैशाली गोलम्बर, मैकडोवल गोलम्बर एवं प्रेमचंद गोलम्बर के आस-पास Trated Water का Reuse किया जायेगा। इस योजना की कुल प्राक्कलित राशि 1,99,79,600/- रूपये व्यय होने की संभावना है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सैदपुर ट्रीटमेन्ट प्लांट के द्वारा ट्रीटमेन्ट किये गये जल का Reuse दिनकर गोलम्बर, बैशाली गोलम्बर(रामावतार शास्त्री गोलम्बर) मैकडोबल गोलम्बर तथा प्रेमचंद गोलम्बर में लगने वाले Fountain तथा पौधों के पटवन हेतु किया जायेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम के लिए इस प्रकार की पहली योजना बन रही है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- यह प्रस्ताव अच्छा एवं जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कांति देवी : अध्यक्ष महोदया, इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर माननीया अध्यक्ष महोदया, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-34 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (1) Providing Infrastructure with operation and maintenance for Re-use of Treated Water in Adjoing Area of Saidpur STP बॉकीपुर अंचल पर व्यय होने वाली प्राक्कलित राशि 1,99,79,600/- रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसका क्रियान्वयन PIU(1) से कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ0म0संख्या-06 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत एकीकृत रोग निगरानी इकाई के अन्तर्गत (Metropolitan Surveillance Unit) मेट्रोपोलिटन सर्विलांस कार्यक्रम के तहत MoU करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मेट्रोपोलिटन सर्विलांस कार्यक्रम के तहत MoU करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत National Center for Diesease Control, Ministry of Health and family welfare Government of india, New delhi) द्वारा अजीमाबाद अंचल अन्तर्गत राजाघाट अवस्थित निगम के स्वामित्व वाले भवन में Metropolitan Surveillance Unit का अधिष्ठापन किया जाना

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

है। जिसके तहत विभिन्न प्रकार के महामारी जैसे- Dengue, Chikungunya, Scrub, Typhus, Leptospirosis and Zka virus इत्यादि के संबंध में कार्य किया जाना है। जिससे बीमारियों के प्रारंभिक संकेतों की समय पर पहचान और उसपर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सुविधा प्रदान करेगा। इसके तहत National Center for Diesease Control, द्वारा 05 वर्ष तक पटना नगर निगम को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस MOU के तहत पटना नगर निगम एक नोडल पदाधिकारी नामित करेगा जिसमें Metropolitan Surveillance Unit के कार्यो का निगरानी किया जायेगा। यह MOU तीन पार्टियों के बीच होनी है, जो निम्न प्रकार है :-

1. **पटना नगर निगम (प्रथम पार्टी)**
2. **स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार (द्वितीय पार्टी)**
3. National Center for Diesease Control (तृतीय पार्टी)

इस प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कई प्रकार की बीमारियां प्रकाश में आती है। उसका रोक-थाम भी जरूरी है। अगर रोगी का पता पहले चल जाए तो उसका ईलाज करने में सुविधा होगी। इनलोगों के जांच हेतु जो केन्द्र बन रहा है, वह सराहनीय कदम है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जा सकता है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

सीता साहू

महापौर

पटना नगर निगम

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्रीमती कांति देवी :- इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 35:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत एकीकृत रोग निगरानी ईकाई के अन्तर्गत Metropolitan Surveillance Unit के तहत MOU करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अति0 मद सं0-07:- **वार्ड सं0-43 के अन्तर्गत सर गणेश दत्त पाटलीपुत्र उच्च विद्यालय से विनोद राय (जज) के मकान तक के रोड का नामकरण '' प्रभावती पथ'' करने के संबंध में ।**

अध्यक्ष :- नामकरण का प्रस्ताव है, अपना-अपना सुझाव दें।

नगर आयुक्त :- वार्ड सं0-43 के अन्तर्गत सर गणेश दत्त पाटलीपुत्र उच्च विद्यालय से बिनोद राय (जज) के मकान तक के रोड का नामकरण '' प्रभावती पथ'' करने का प्रस्ताव है।

प्रभावती जी लोक नायक जय प्रकाश नारायण की पत्नी थी। उन्होंने पूरा जीवन महिलाओं के कल्याण एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए वर्ष 1940 में महिला चरखा समिति की स्थापना की । जिसके तहत असहाय एवं कमजोर महिलाओं को भरण -पोषण का मार्ग मिला । उनके जीवन काल को देखते हुए नामकरण का प्रस्ताव रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, उस रोड में आज भी महिला चरखा समिति का भवन अवस्थित है। जहाँ अनेको कार्यक्रम होते रहते हैं। सर गणेश दत्त पाटलीपुत्र उच्च विद्यालय से स्वर्गीय बिनोद राय (जज साहेब) के मकान तक के सड़क का नाम प्रभावती पथ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-36:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सं0-43 के अन्तर्गत सर गणेश दत्त पाटलीपुत्र उच्च विद्यालय से विनोद राय (जज साहब) के मकान तक के रोड का नामकरण ''प्रभावती पथ'' करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नव भारत जागृति केन्द्र, पटना द्वारा वार्ड संख्या-58 में महिलाओं के उपयोग हेतु एक पिंक टॉयलेट के निर्माण हेतु जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध आपको संबोधित पत्र द्वारा किया गया था जिसपर अग्रेतर कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त महोदया को आपके द्वारा भेजा गया था। संस्था के द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार पिंक टॉयलेट का निर्माण संस्था निःशुल्क करेगी तथा उसका रख-रखाव एक वर्ष तक बिना कोई शुल्क किये करेगी। यह प्रस्ताव है अच्छा है। इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 37 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नव भारत जागृति केन्द्र, पटना को वार्ड संख्या-58 में एक अदद PINK TOILET निर्माण की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा निम्न शर्त्तों पर प्रदान की जाती है :-**

1. **PINK TOILET का मालिकाना हक पटना नगर निगम का रहेगा।**
2. **PINK TOILET का रख-रखाव एक वर्ष तक नव भारत जागृति केन्द्र, पटना को करना होगा।**

पटना नगर निगम ★ PATNA MUNICIPAL CORPORATION

(सीता साहू)
महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू
10/6/2023
(सीता साहू)
महापौर
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/06/2023
नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

21/06/23